फर्द अहकाम

कार्यालयः— न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
अपीलार्थीः— पन्नालाल बनाम निलेश
किस्म मुकदमाः— राजस्व पत्रावली संख्याः— 01/23 सन्ः— 2023

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।
	02.01.2023 अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बाद जांच दर्ज की जाकर पेश हुई। अपने अपील प्रार्थना पत्र के साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली, तहसील मावली में आराजी नंबर 3055 स्थित है जिसमें से आरजी नंबर 5362/3055 रकबा 2976 वर्गमीटर यानि 0.2976 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट के नाम है। कथित जमीन अन्य जमीनों के साथ 1/2 हिस्से की प्रार्थी को प्राप्त हुई है तथा इस पर 45 वर्षो से प्रार्थी के पिता का व उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। कथित जमीन के संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी सहायक कलक्टर, मावली के यहां पेश कर रखा है। कथित जमीन को विपक्षी ने उसके गलत खाते चढ जाने से अपने नाम से कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा लिया तथा इस रूपान्तरण की आड में प्रार्थी विपक्षी से कब्जा चाहता है। विपक्षी प्रार्थी को दिनां 22.12.2022 को धमकी दी कि आप कुछ पैसा लेकर कब्जा छोड दे अन्यथा हम इस जमीन का हस्तान्तरण किसी अन्य के हक में कर देंगे जिससे खरीददार आपसे जबरन कब्जा प्राप्त कर सकेगा। विपक्षी द्वारा उक्त जमीन का हस्तान्तरण किसी अन्य के हक में कर दिया गया तो इस अपील का उद्देश्य समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी को बडा भारी नुकसान होगा जिसका एवजाना नगदी में नहीं आंका जा सकेगा। अतः ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना स्थगित रखी जाकर मौके एवं रेकर्ड की यथावत् स्थिति बनायी रखी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा विपक्षी को पाबन्द कराया जावे कि वह विवादित जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे न ही अन्य से करावे।	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पर अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। मौजा मावली, तहसील मावली में आराजी नंबर 5362/3055 रकबा 2976 वर्गमीटर भूमि रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है। जिसके मूल आराजी नंबर 3055 होकर 1/2 हिस्सा पूर्व में रंगलाल के वारिसान के नाम पर दर्ज था। रंगलाल की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर उन्होने उक्त भूमि जरिये आपसी समझौता इकरार व वसीयत पत्र पन्नालाल को हस्तांतरित कर दी जिस पर अपीलाण्ट का करीब 45 वर्ष से कब्जा होने के बावजद तहसीलदार मावली द्वारा द्वारा अपने आदेश मुकदमा नंबर एल.सी./2022–23/133935 दिनांक 06.10.2022 से विपक्षी के हक में भूमि का आवासीय संपरिवर्तन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आराजी नंबर 5362/3055 रकबा 2976 वर्गमीटर भूमि अपीलाण्ट को जरिये वसीयत प्राप्त हुई थी, परन्तु तहसीलदार मावली द्वारा विपक्षी निलेश पिता हरिशचन्द्र चपरोत के पक्ष में अपने प्रकरण संख्या एल.सी./2022–23/133935 दिनांक 06.10.2022 से आवासीय संपरिवर्तन किया गया जो प्रथम दृष्टया गलत रूप से जारी होना पाया जाता है लिहाजा सुविधा का संतुलन भी निर्णय पर स्थगन आदेश जारी करने के पक्ष में है। अतः मौजा मावली तहसील मावली की विवादित भूमि आराजी संख्या 5362/3055 पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति अपील के अंतिम निर्णय तक रखी जावे।

दोनों पक्षों को प्रकरण के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा उक्त आराजी संख्या 5362/3055 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, ना ही खुर्द–बुर्द और ना ही बेचान करेगे।

आदेश की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे।

पत्रावली वास्ते रेस्पोडेंट की तलबी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.02.23 को पेश हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर